न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 4/2017

अपीलांट

बाबुलाल पुत्र ओटारामजी जाति कुम्हार चांदराई तहसील सुमेरपुर

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. तेजराज पुत्र मनरूपजी जाति कुम्हार निवासी खींमाडा तहसील सुमेरपुर
2. भूमिधारी तहसीलदार महोदय, सुमेरपुर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स

श्री मदनलाल सोनी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02

–: निर्णय :–

दिनांकः– 31.07.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 592/15 में पारित आदेश दिनांक 08.11.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि ग्राम सुमेरपुर के खसरा नंबर 617/03 रकबा 0.16 हैक्टेयर में आवागमन हेतु अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 617/1 की भूमि से रास्ता

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने संपूर्ण जवाब मय दस्तावेजात पेश कर निवेदन किया कि ऐसा कोई रास्ता कभी भी उपलब्ध नहीं रहा है। खसरा नंबर 617/3 के आस–पास पूर्णतया आबादी बस्ती आई हुई है, पट्टाशुदा एवं आबादी क्षेत्र स्थित है। रेस्पोडेन्ट के बताये अनुसार कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। खसरा नंबर 617 के कृषि भूमि में आने जाने हेतु पूर्व दिशा के दक्षिण दिशा की तरफ लोहे का गेट लगा हुआ है, जो सुविधा हेतु लगाया गया है, जिसका उपयोग रेस्पोडेन्ट ने भूमि खरीद करने के पश्चात कभी नहीं किया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा बताये अनुसार कोई रास्ता विधमान नहीं है। रेस्पोडेन्ट ने जिस विक्रय–विलेख दस्तावेज से भूमि उपरोक्त खसरा नंबर 617/3 रकबा 0.16 हैक्टर भूमि खरीद की है, उस दस्तावेज में ही यह स्पष्ट अंकित है कि खरीद की गई भूमि में ही दक्षिण दिशा की तरफ 20 फीट चौड़ा रास्ता रेस्पोडेन्ट के आने–जाने हेतु रखा गया है, उक्त रास्ते को रेस्पोडेन्ट ने अपनी भूमि में मिला दिया एवं अपीलांट की खातेदारी भूमि में से रास्ते की मांग की जा रही है। जबकि आबादी क्षेत्र में खसरा नंबर 251ए के प्रावधान लागू नहीं होते है, राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अपीलांट की अनुपस्थिति में तैयार की गई एवं न ही इस संबध में अपीलांट को कोई नोटिस दिया गया। केवल एकपक्षीय मौका रिपोर्ट के आधार पर जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा आदेश 7 नियम 11 का आवेदन पेश किया, जिस पर विधिनुसार सुनवाई किये बिना ही आवेदन को जैर अपील निर्णय में खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को साक्ष्य, सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं समुचित जांच किये बिना एकपक्षीय मौका रिपोर्ट के आधार पर जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार करावें तथा जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि ग्राम सुमेरपुर के खसरा नंबर 617/03 रकबा 0.16 हैक्टेयर में आवागमन हेतु अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 617/1 की भूमि से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार सुमेरपुर से रिपोर्ट तलब की गई, उसमें तहसीलदार ने यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि रेस्पोडेन्ट की भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है तथा चाहा गया मार्ग सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं होकर आत्यांतिक आवश्यक है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत संक्षिप्त कार्यवाही/प्रक्रिया

राजस्व अपील प्राधिकारी

अपनाते हुए काश्तकारों को राहत प्रदान करने के प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अपीलांट की आराजी राजस्व रेकर्ड में कृषि भूमि दर्ज है, जिससे उक्त आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधानो पूर्णतया लागू होते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का विवेचन करते हुए रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध होने पर जैर अपील आदेश के जरिये रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष दिया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें। वकील रेस्पोडेन्ट ने अपने कथनो के समर्थन मे न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये (1) 2009(1)डी.एन.जे(राज.) 410 (2) 2014(2) WLN 280 (Raj) (3) 65 आर. आर.डी 73

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि ग्राम सुमेरपुर के खसरा नंबर 617/03 रकबा 0.16 हैक्टेयर में आवागमन हेतु अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 617/1 की भूमि से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट ने अपनी आराजी में आने जाने बाबत आवागगन हेतु रास्ता का अनुतोंष चाहा है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया। हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत पटवारी (भू.अ) पटवार मंडल सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर जिला पाली के प्रमाण पत्र में यह स्पष्ट अंकन है कि वादग्रस्त आराजी सरहद ग्राम सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 617, 617/1, 617/3 नगर पालिका सुमेरपुर के मास्टर प्लान (नगर नियोजन) के अनुसार आवासीय प्रयोजन अर्थात R-1 की श्रेणी में आता है। अब हस्तगत प्रकरण में कानूनी बिन्दु यह उद्‌भूत होता है कि क्या राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधान नगरपालिका क्षेत्र में लागू होती है ? इस संबध में राजस्थान विधिया (संशोधन) अधिनियम 2012 जों कि 02.05.2012 से लागू हुआ, जिसके अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90ए की उपधारा 7 ख के अनुसार नगरीय क्षेत्र (Arban Area) नगरयोग्य सीमाएं व उपान्त पटी (Peri pheral Belt) की भूमियां राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 102 क के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखी गई समझी जायेगी और तद्‌नुसार लागू विधि/नियमो के अधीन ही लागू अथवा प्रस्तावित मास्टर प्लान में दर्शाये गये भू–उपयोग के अनुसार ही रास्ते इत्यादि निर्धारित होगे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए मात्र कृषि कार्य हेतु केवल मात्र कृषको के लिए ही रास्ते संबधी अधिकार प्रदान करते है। किन्तु हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत पटवारी (भू.अ) पटवार मंडल सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर जिला पाली के प्रमाण पत्र में यह स्पष्ट अंकन है कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

वादग्रस्त आराजी सरहद ग्राम सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 617, 617/1, 617/3 नगर पालिका सुमेरपुर के मास्टर प्लान (नगर नियोजन) के अनुसार आवासीय प्रयोजन अर्थात R-1 (आवासीय प्रयोजनार्थ)की श्रेणी में आता है। प्रश्नगत आराजी भू उपयोग प्रस्तावित मास्टर प्लान में आवासीय प्रयोजनार्थ है जिससे उक्त वादग्रस्त आराजी में रास्तो का निर्धारण प्रस्तावित मास्टर प्लान में दर्शाये गये भू–उपयोग के अनुसार ही होगा। उक्त आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के प्रावधान लागू नहीं होते है। इसके अतिरिक्त वकील उभयपक्षो द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के संदर्भ प्रस्तुत किये गये है जो कि हस्तगत प्रकरण में चस्पा नहीं होते है। अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी बिन्दुओ को ध्यान में न रखते हुए अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में समर्थन योग्य नहीं पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 592/15 में पारित आदेश दिनांक 08.11.2016 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.07.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली